



राजस्थान सरकार

Azadi Ka
Amrit Mahotsav

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE JAJAATHA

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

आतेदार/विकासकर्ता रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा चक 4 जैड गुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1 में 0.1390 है., किला नं. 2 में 0.2280 है., किला नं. 9 में 0.253 है., किला नं. 10 में 0.1520 है., किला नं. 11 में 0.1520 है., किला नं. 12 में 0.253 है., किला नं. 19 में 0.253 है., किला नं. 20 में 0.1510 है. यथाकुल 1.5810 हेक्टेयर भूमि का 90 ए आदेश संख्या LU2012/SGN/2024-25/101255 दिनांक 19.03.2025 द्वारा आवासीय + व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 90-ए आदेश जारी है। श्री हिमांशु बिहाणी पुत्र श्री शरद बिहाणी द्वारा चक 4 जैड गुरब्बा नं. 35 के किला नं. 3/2 में 0.0838 हेक्टे. किला नं. 8/1 में 0.0920 हेक्टे. किला नं. 13/2 में 0.0920 हेक्टे. किला नं. 18/1 में 0.0920 हेक्टे. यथाकुल 0.3598 हेक्टेयर भूमि का 90 ए आदेश संख्या LU2012/SGN/2024-25/101286 दिनांक 15.05.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ 90-ए आदेश जारी है। उक्त यथाकुल 208494 वर्गफीट भूमि का संयुक्त आवासीय + व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 26.06.2025 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2025/857 दिनांक 03.07.2025 के एजेन्डा संख्या 20 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है। आतेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय + व्यावसायिक योजना का नाम Vrindavan Enclave रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि प्रकरण संख्या 101255 के ले आउट प्लान के संबंध में न्यास कार्यालय द्वारा जारी माँग पत्र क्रमांक 14418786 दिनांक 27.03.2025 में अंकित राशि अनुसार बाह्य विकास शुल्क की राशि 23,71,500/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 4,74,300/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 18,97,200/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 7,65,600/- रुपये एवं बीएसयूपी शेल्टर फण्ड राशि 1,95,425/- रुपये यथाकुल राशि 28,58,225/- रुपये जरिये रसीद संख्या 47-1724 दिनांक 17-04-2025 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

उक्त यथाकुल 208494 वर्गफीट भूमि का संयुक्त आवासीय + व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान (जारी माँग पत्र क्रमांक ऑनलाईन राजकाज रैफ 16688238 दिनांक 21.07.2025 में अंकित राशि) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 29,11,200/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 5,82,240/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 23,28,960/- रुपये में से पूर्व में जमा राशि 18,97,200/- रुपये शेष राशि 4,31,760/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 5,33,412/- रुपये एवं बीएसयूपी शेल्टर फण्ड राशि 80,828/- रुपये यथाकुल राशि 10,46,000/- रुपये जरिये रसीद संख्या 100-1729 दिनांक 11-08-2025 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

आतेदारान द्वारा योजना के आन्तरिक समस्त विकास कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्ध भूखण्ड {Comm. Showroom-27, Showroom-34, Showroom-35, Showroom-36 Each Size 15'-0" X 60'-0" Feet, Resi. A-10 Size 35'-0" X 49'-9" Feet, C-2 Size 25'-0" X 49'-9" Feet, D-5 Size 25'-0" X 50'-0" Feet, E-4, E-6, E-7, E-8 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, F-10 Size 20'-0" X 60'-0" Feet, G-5 Size 15'-0" X 50'-0" Feet, G-6 Size 20'-0" X 50'-0" Feet, Informal-A & B Each Size 35'-0" X 60'-0" Feet, Total 04 Comm. Showrooms, 10 Resi. Plots & 02 Informal} न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/आतेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

----1/4----

ATP/PAGE395

Signature

राज कुमार

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation: Secretary
Date: 2025.08.22 17:42:30 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
17213500

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



राजस्थान सरकार

75
AZADI KA
Amrit Mahotsav

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)



Telefax No. 0154-2466657, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार/विकासकर्ता रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी वार्ड नं. 04 सादलशहर, जिला श्रीगंगानगर एवं श्री हिमाशु बिहाणी पुत्र श्री शरद बिहाणी निवासी मकान नं. 14, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत अप्परटैपिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

1. स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कों का निर्माण कार्य, जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, पोल एवं स्ट्रीट लाइटें, पार्क का निर्माण/विकास कार्य, सड़कों किनारे होर्टिकल्चर/पौधारोपण इत्यादि मूलभूत सुविधायें कॉलोनाईजर्स/खातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
2. शेष सभी विकास कार्य आंदर हैंड वाटर हैंक निर्माण, तर्प जल निकासी हेतु नालियां, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी।
3. योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों अथवा रहन अन्तिम भूखण्ड को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगा/करेंगे।
4. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊँचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉन्डर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
5. आवेदित संयुक्त भूमि का श्रीगंगानगर गारडर प्लान वर्ष 2017-2035 में भू-उपयोग आवासीय एवं जोनल प्लान में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क के सहारे-सहारे दोनों ओर मिश्रित प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित है। मिश्रित भू-उपयोग में वाणिज्यिक भू-उपयोग अनुज्ञेय है।
6. आवेदित संयुक्त भूमि को पूर्व दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 चौड़ी श्रीगंगानगर-हिन्दुमलकोट सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। उक्त मास्टर प्लान की प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क को यथावत कायम किये जाने हेतु अपने स्वामित्व की भूमि में से 24'-3" गुणा 630'-0" फीट भूमि निःशुल्क राज्य सरकार के पक्ष में सड़क उपयोग हेतु जरिये शपथ पत्र समर्पित की है। आवेदित संयुक्त भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। उक्त मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क को यथावत कायम किये जाने हेतु अपने स्वामित्व की भूमि में से 13'-6" गुणा 324'-0" फीट भूमि निःशुल्क राज्य सरकार के पक्ष में सड़क उपयोग हेतु जरिये शपथ पत्र समर्पित की है। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। शेष भूमि पर योजना का क्रियान्वन किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की मांग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।

---2/4---

ATP/PAGE396

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.08.22 17:42:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17213500

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



राजस्थान सरकार

Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास ब्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

- अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क एवं पार्क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार ब्यास को समर्पित की है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क एवं पार्क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों एवं ब्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
- योजना में स्वीकृत Informal-A & B Each Size 35'-0" X 60'-0" Feet (Total 4200 Sq. Feet) एवं स्वीकृत इन्फोरमल भूखण्ड में भविष्य की आवश्यकतानुसार दुकानें प्रस्तावित की जाती हैं तो विभागीय आदेशानुसार आवंटन/बैचान/निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
- आवेदित भूमि में विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर 02 टावरस् हेतु स्थल का निर्धारण पार्क में आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/आदेशानुसार किया जावेगा।
- अनुमोदित योजना मानचित्र में Facility Size 34'-3" X 50'-0" Feet (Total 1712.50 Sq. Feet) हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों एवं ब्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
- योजना की समस्त सड़कें ब्यास में निहित होगी एवं योजना में छेरा कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
- योजना के आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 18 माह (निर्धारित समयावधि) में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार ब्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
- टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क ब्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
- योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक ग.3(77)नविचि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
- योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जावेगा एवं राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 की पालना विकासकर्ता/खातेदार द्वारा की जानी होगी एवं योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् ही विकासकर्ता/खातेदार द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रैरा में पंजीयन नहीं होने पर ब्यास द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जावेगा।

---3/4---

ATP/ PAGE397
राजस्थान सरकार
RajKaj Ref No.: 17213500

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.08.22 17:42:30 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



16. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक/स्वातेदार द्वारा नियमानुसार पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रेरा में पंजीकरण नहीं होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नहीं किया जावेगा।
17. योजना में निर्माण कार्य से संबंधित लैबर सैस शुल्क विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर श्रम विभाग को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा। योजना के संबंध में किसी भी विभाग से कोई देयता बनती है तो देय राशि जमा करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक स्वयं का होगा।
18. पूर्व में ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 21.03.2025 के एजेण्डा संख्या 04 एवं बैठक दिनांक 25.04.2025 के एजेण्डा संख्या 10 द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान को निरस्त कर प्रकरण संख्या 101255 की जमा राशि का समायोजन कर नियमानुसार प्रकरण संख्या 101255 एवं 101286 की यथाकुल 208494 वर्गफीट भूमि का संयुक्त रूप से एकल आवासीय + व्यावसायिक एगर्जाई ले-आउट प्लान न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 26.06.2025 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2025/857 दिनांक 03.07.2025 के एजेण्डा संख्या 20 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त पेज संख्या 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार अंकित समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें गुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

(सहमती हस्ताक्षर प्रार्थी/स्वातेदार)
दिनांक :-

क्रमांक :- नियोजन/2025/
प्रतिलिपि :-

1. स्वातेदार/विकासकर्ता रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी वार्ड नं. 04 सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर एवं श्री दिगांशु बिहानी पुत्र श्री शरद बिहानी निवासी मकान नं. 14, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रुपान्तरण नहीं करवे एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

----4/4----

ATP/ PAGE398

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.08.22 17:42:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17213500

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com

Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



क्रमांक :- नियोजन/2025/

दिनांक :- यथाहस्ताक्षरित

भूखण्ड के बदले भूखण्ड रहन मुक्ति आदेश

खातेदार/विकासकर्ता रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा चक 4 जैड मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1 में 0.1390 है., किला नं. 2 में 0.2280 है., किला नं. 9 में 0.253 है., किला नं. 10 में 0.1520 है., किला नं. 11 में 0.1520 है., किला नं. 12 में 0.253 है., किला नं. 19 में 0.253 है., किला नं. 20 में 0.1510 है. यथाकुल 1.5810 हैक्टेयर भूमि का 90 ए आदेश संख्या LU2012/SGN/2024-25/101255 दिनांक 19.03.2025 द्वारा आवासीय + व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 90-ए आदेश जारी है। श्री हिमांशु बिहाणी पुत्र श्री शरद बिहाणी द्वारा चक 4 जैड मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 3/2 में 0.0838 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.0920 हैक्टे. किला नं. 13/2 में 0.0920 हैक्टे. किला नं. 18/1 में 0.0920 हैक्टे. यथाकुल 0.3598 हैक्टेयर भूमि का 90 ए आदेश संख्या LU2012/SGN/2024-25/101286 दिनांक 15.05.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ 90-ए आदेश जारी है। उक्त यथाकुल 208494 वर्गफीट भूमि का संयुक्त आवासीय + व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 26.06.2025 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2025/857 दिनांक 03.07.2025 के एजेण्डा संख्या 20 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है। खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय + व्यावसायिक योजना का नाम Vrindavan Enclave रखा गया है। उक्त भूमि का प्रमाण पत्र ऑनलाईन राजकाज रैफ 17213500 दिनांक 22-08-2025 द्वारा जारी है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टैकिंग अनुसार **भूखण्ड संख्या {Comm. Showroom-27, Showroom-34, Showroom-35, Showroom-36 Each Size 15'-0" X 60'-0" Feet, Resi. A-10 Size 35'-0" X 49'-9" Feet, C-2 Size 25'-0" X 49'-9" Feet, D-5 Size 25'-0" X 50'-0" Feet, E-4, E-6, E-7, E-8 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, F-10 Size 20'-0" X 60'-0" Feet, G-5 Size 15'-0" X 50'-0" Feet, G-6 Size 20'-0" X 50'-0" Feet, Informal-A & B Each Size 35'-0" X 60'-0" Feet, Total 04 Comm. Showrooms, 10 Resi. Plots & 02 Informal}** वर्तमान में रहन है।

भूखण्डों की अवस्थिति पास-पास होने एवं रहन रखे जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण भूखण्ड संख्या **F-10 Size 20'-0" X 60'-0" Feet, Total 01 Resi. Plot (1200 Sq. Feet)** को रहन मुक्त करते हुए उक्त भूखण्ड के स्थान पर स्वतंत्र बेचान योग्य भूखण्ड **B-01 Size 25'-0" X 50'-0" Feet, Total 01 Resi. Plot (1250 Sq. Feet)** को रहन रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः **भूखण्ड संख्या {Comm. Showroom-27, Showroom-34, Showroom-35, Showroom-36 Each Size 15'-0" X 60'-0" Feet, Resi. A-10 Size 35'-0" X 49'-9" Feet, B-01 Size 25'-0" X 50'-0" Feet, C-2 Size 25'-0" X 49'-9" Feet, D-5 Size 25'-0" X 50'-0" Feet, E-4, E-6, E-7, E-8 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, G-5 Size 15'-0" X 50'-0" Feet, G-6 Size 20'-0" X 50'-0" Feet, Informal-A & B Each Size 35'-0" X 60'-0" Feet, Total 04 Comm. Showrooms, 10 Resi. Plots & 02 Informal}** को आगामी आदेशों तक आन्तरिक विकास कार्य हेतु रहन रखे जावें।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर
दिनांक :-

क्रमांक :- नियोजन/2025/
प्रतिलिपि :-

1. खातेदार/विकासकर्ता रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी वार्ड नं. 04 सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर एवं श्री हिमांशु बिहाणी पुत्र श्री शरद बिहाणी निवासी मकान नं. 14, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर।
2. प्रभारी अधिकारी नियमन शाखा न्यास श्रीगंगानगर उक्त कॉलोनी के बन्धक मुक्त भूखण्ड के नियमन की कार्यवाही किये जाने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर